संख्या–1/11/2011–पी.एण्ड.पी.डब्ल्यू(ई.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 30.11.2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सी. सी. एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन दो पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए निर्भरता मापदंड की व्याख्या के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को आश्रित माता–पिता, पुत्रों तथा पुत्रियों की पारिवारिक पेंशन की पात्रता के संबंध में तथा उसके लिए नियत आय/निर्भरता माप दंड के लिए इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/86/97–पी.एंड.पी.डब्ल्यू. (ए) भाग 1 दिनांक 27 अक्तूबर, 1997 तथा कार्यालय ज्ञापन 45/51/97–पी.एंड.पी.डब्ल्यू. (ई) दिनांक 5 मार्च, 1998 का सन्दर्भ लेने का निदेश हुआ है। ध्यान, कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08–पी.एंड.पी.डब्ल्यू (ए), दिनांक 2 सितम्बर, 2008 की ओर भी आकर्षित किया जाता है जहां आश्रितता मापदंडों को संशोधित किया गया है।

2. यह विभाग, विभिन्न क्वार्टरों से, उक्त संदर्भित ज्ञापनों के लिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए पत्राचार प्राप्त कर रहा है कि पारिवारिक पेंशनभोगियों को जो पहले से ही पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो आश्रितता मापदंड के समान या उससे अधिक हो, को द्वितीय पारिवारिक पेंशन देय है कि नहीं।

3. एतद द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि किसी मृतक कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में, लाभार्थी को देय पारिवारिक पेंशन को किसी अन्य पारिवारिक पेंशन की पात्रता नियत करने के प्रयोजन के लिए आय के रूप में नहीं गिना जाएगा जो अन्य मृतक कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में देय हो, हालांकि लाभार्थी की अन्य विचाराधीन कमाई को पारिवारिक पेंशन की पात्रता का निर्धारण करने के लिए, आय के रूप में गिना जाएगा।

4. साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त इंगित पारिवारिक पेंशनभोगी को देय, पारिवारिक पेंशन की राशि सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 (II) (क) समय समय पर यथा संशोधित द्वारा विनियमित होगी।

5. इसे वित्त विभाग के परामर्श से उनके आई.डी. संख्या 383/ई.वी./2011, दिनांक 22 नवम्बर, 2011 द्वारा जारी किया जाता है।

(के.के.मित्तल)
निदेशक
दूरभाषः 24624752

इस विभाग द्वारा अनुरक्षित सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सी.जी.ए. एवं सी.पी.ए.ओ. पेंशनभोगी एसोशिएसन